

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: पं० 17(02)/अभियान/2026

जयपुर, दिनांक: यथा-हस्ताक्षरित

11 JUN 2026

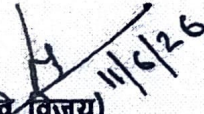
स्पष्टीकरण

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/एफ. 7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2026/3651 दिनांक 10.06.2026 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2026 के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

जिसके क्र०स० (1) पर अंकित "पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-2026 तक एक मुश्त शहरी सेवा शिविर में जमा करने पर ब्याज 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।" के स्थान पर निम्न पढ़ा जावे:-

"पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि शहरी सेवा शिविर 2026 अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त शहरी सेवा शिविर में जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।"


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


(रवि विजय)
उप शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर./स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।

12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान ।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान ।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान ।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद ध्यालिका,
17. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर/कोटा/जोधपुर ।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण ।राजस्थान ।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
20. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान ।
21. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव— प्रथम